

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

## महत्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. अपेक्षित विवरण केवल 'प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका' के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
2. 'प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका' (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिह्न यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर/टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा कोई भी प्रश्न के उत्तर से असंबंधित शब्द, वाक्य एवं अंक आदि लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वह 'राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992' के तहत दण्डित कार्यवाही हेतु भी उत्तरदायी माना जायेगा।
4. प्रश्न पत्र 'अ' 'ब' 'स' और 'द' चार भागों में विभाजित है। प्रत्येक भाग में किये जाने वाले प्रश्नों की संख्या और उनके अंक उस भाग में अंकित किये गये हैं।
5. चारों भागों यथा, 'अ' 'ब' 'स' और 'द' में दिये गये प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रूप से 'प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका' में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखें, कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी को अपने उत्तर निर्धारित जगह से अधिक नहीं लिखने चाहिये। किसी भी परिस्थिति में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
7. उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी किसी एक भाषा में दीजिये, दोनों में नहीं। फ्लेप पर उत्तर के माध्यम के चौखाने में एक विकल्प को चिन्हित करें।
8. किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये।
9. यदि 'प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका' कहीं से कटी-फटी या अमुद्रित है, तो शीघ्रताशीघ्र अभिजागर से कह कर उसे बदलवा लें व अभिजागर के ध्यान में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
10. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

\*\*\*\*\*

1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Book"; and not at any other place.
2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll Number, Name, Address, Mobile Number/ Telephone Number, Name of God etc. or any irrelevant word, sentence or figure other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination.
3. A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification. He shall also be liable for penal action under "The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992".
4. The question paper is divided into four parts 'A', 'B', 'C' and 'D'. The number of questions to be attempted and their marks are indicated in that part.
5. The answer of the questions in all four parts i.e. 'A', 'B', 'C' and 'D' should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
6. The candidate should not write the answers beyond the space prescribed. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
7. Attempt answers either in Hindi or in English, not in both. Specify an option by ticking in box of "Medium of Answer" on the flap.
8. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
9. In case the "Question Paper - cum- Answer Book" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change or direction at earliest, otherwise the candidate will be liable for that.
10. Possession of any electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

**NOTE :** Attempt all the questions. Questions no.1 to 8 each carries 3 marks, question no. 9 to 12 each carries 5 marks, question no.13 to 15 each carries 6 marks, question no. 16 to 18 each carries 8 marks and question no. 19 carries 14 marks.

नोट :- समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिये । प्रश्न संख्या 1 से 8 तक प्रत्येक हेतु 3 अंक, प्रश्न संख्या 9 से 12 तक प्रत्येक हेतु 5 अंक, प्रश्न संख्या 13 से 15 तक प्रत्येक हेतु 6 अंक, प्रश्न संख्या 16 से 18 तक प्रत्येक हेतु 8 अंक एवं प्रश्न संख्या 19 हेतु 14 अंक निर्धारित हैं।

**PART-A / भाग - अ**

**Marks/ अंक - 24**

**Attempt all the 8 questions. Each question carries 03 marks.**

समस्त 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न हेतु 03 अंक निर्धारित है।

**Question No. 1**

**(3 Marks)**

Briefly discuss the applicability of doctrine of severability under Article 13(1) of the Constitution of India.

प्रश्न संख्या 1

संविधान के अनुच्छेद 13(1) के अन्तर्गत पृथक्करणीयता के सिद्धान्त की प्रयोज्यता की संक्षेप में विवेचना करें।

**Question No. 2**

**(3 Marks)**

Briefly discuss the provisions of Civil Procedure Code, 1908 regarding examination of parties by the court at the first hearing of the suit.

प्रश्न संख्या 2

वाद की प्रथम सुनवाई में न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा के सम्बन्ध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों की संक्षेप में विवेचना करें।

**Question No. 3**

**(3 Marks)**

Dilate on admissibility of unregistered and insufficiently stamped document affecting immovable property in evidence for collateral transaction, in context of provisions of Section 49 of the Registration Act, 1908 and Section 39 of Rajasthan Stamp Act, 1998.

प्रश्न संख्या 3

पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 49 एवं राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 39 के संदर्भ में अचल सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले अपंजीकृत एवं अपर्याप्त मुद्रांकित दस्तावेज की सांपाश्विक संव्यवहार हेतु साक्ष्य में ग्राह्यता की विवेचना करें।

**Question No. 4**

**(3 Marks)**

"Where once time has begun to run, no subsequent disability or inability stops it". Explain in brief.

**प्रश्न संख्या 4**

“जहाँ एक बार समय का चलना प्रारम्भ हो जाये किसी भी पार्श्विक निर्योग्यता या अयोग्यता से वह नहीं रुकता”। संक्षेप में व्याख्या करें।

**Question No. 5****(3 Marks)**

Deliberate on “Rule against the perpetuity” provided under the provisions of Transfer of Property Act, 1882.

**प्रश्न संख्या 5**

सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपबन्धित “शाश्वतता के विरुद्ध नियम” की विवेचना करें।

**Question No. 6****(3 Marks)**

Briefly explain the different modes of dissolution of a firm under the Indian Partnership Act, 1932.

**प्रश्न संख्या 6**

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अन्तर्गत फर्म के विघटन की विभिन्न रीतियों का संक्षेप में विवेचन करें।

**Question No. 7****(3 Marks)**

Whether the witness is entitled for permission to be seated while giving evidence in the Court? If so, under what circumstances? How the witnesses produced by the plaintiff and defendant and the witnesses called and examined by the court are required to be numbered? Indicate with reference to the relevant provisions of General Rules (Civil), 1986.

**प्रश्न संख्या 7**

क्या कोई साक्षी साक्ष्य देते समय न्यायालय में बैठने की अनुमति का अधिकारी है ? यदि ऐसा है तो किन परिस्थितियों में ? वादी, प्रतिवादी या न्यायालय द्वारा परीक्षण हेतु बुलाये गये साक्षियों के संख्यांक किस प्रकार अंकित किये जाने चाहिए ? साधारण नियम (सिविल), 1986 के प्रावधानों के संदर्भ में उपदर्शित करें।

**Question No. 8****(3 Marks)**

Briefly discuss the power of the court under Section 89 of Civil Procedure Code, 1908 and Section 8 of Arbitration and Conciliation Act, 1996 to refer parties to arbitration for settlement of the dispute.

**प्रश्न संख्या 8**

व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 एवं माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 के अन्तर्गत पक्षकारों को माध्यस्थम् समझौते हेतु निर्देशित करने की न्यायालय की शक्ति की संक्षेप में विवेचना करें।

**Attempt all the 4 questions. Each question carries 05 marks.**

समस्त 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न हेतु 05 अंक निर्धारित है।

**Question No. 9**

**(5 Marks)**

Elaborate the provisions under the Civil Procedure Code, 1908, regarding non-appearance of the parties and consequence of non-appearance.

प्रश्न संख्या 9

पक्षकारों की अनुपसंजाति और उसके परिणाम के सम्बन्ध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों की विवेचना करें।

**Question No. 10**

**(5 Marks)**

Discuss the entitlement of a divorced Muslim woman for mahr, maintenance and other properties under the provisions of Section 3 of Muslim Women (Protection of Right on Divorce) Act, 1986.

प्रश्न संख्या 10

मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अन्तर्गत तलाकशुदा मुस्लिम महिला के मेहर, निर्वाह भत्ता एवं अन्य सम्पत्तियाँ प्राप्त करने के अधिकार की विवेचना करें।

**Question No. 11**

**(5 Marks)**

Dilate on unpaid seller's lien as contemplated under Section 47 of the Sale of Goods Act, 1930. What are the circumstances whereunder unpaid seller's lien shall stand terminated?

प्रश्न संख्या 11

माल विक्रय अधिनियम, 1930 की धारा 47 के अन्तर्गत अनुध्यात असंदत विक्रेता के धारणाधिकार की विवेचना करें। वह कौनसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें असंदत विक्रेता के धारणाधिकार का पर्यवसान हो जावेगा?

**Question No. 12**

**(5 Marks)**

Write short notes :  
(each carries 2.5 marks)

प्रश्न संख्या 12

संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :  
(प्रत्येक हेतु 2.5 अंक निर्धारित है)

- (i) Doctrine of Lis pendens
- (i) वाद लम्बन का सिद्धान्त
  
- (ii) Easement of necessity.
- (ii) आवश्यकता के सुखाचार

**Attempt all the 6 questions. Question no. 13 to 15 each carries 06 marks and question no. 16 to 18 each carries 8 marks.**

समस्त 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रश्न संख्या 13 से 15 प्रत्येक हेतु 6 अंक एवं प्रश्न संख्या 16 से 18 प्रत्येक हेतु 8 अंक निर्धारित हैं।

**Question No. 13****(6 Marks)**

Explain the difference between following:  
(each carries 03 marks)

प्रश्न संख्या 13

निम्नलिखित में विभेद स्पष्ट करें :  
(प्रत्येक हेतु 03 अंक निर्धारित है)

(i) Return of plaint and Rejection of plaint

(i) वाद पत्र का लौटाया जाना एवं वाद पत्र का नामंजूर किया जाना

(ii) Malice in law and Malice in fact

(ii) विधि की दृष्टि में विद्वेष एवं तथ्य की दृष्टि में विद्वेष

**Question No. 14****(6 Marks)**

"Arbitrariness is antithesis to Article 14 of the Constitution of India", Elaborate.

प्रश्न संख्या 14

"स्वेच्छाचारिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के स्पष्टतः विपरीत है", विवेचना करें।

**Question No. 15****(6 Marks)**

Elaborately discuss the remedies falling in the realm of civil law, provided under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, to those women who have been in domestic relationship with the respondent as defined under provisions of Section 2(q) of the said Act.

प्रश्न संख्या 15

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उन महिलाओं को जो कि धारा 2 (थ) के अन्तर्गत परिभाषित प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में रही हैं, को दीवानी विधि के क्षेत्र में उपलब्ध उपचारों की विस्तृत विवेचना करें।

**Question No. 16****(8 Marks)**

Elaborately discuss the principles guiding the discretion of the court in granting decree for specific performance of the contract.

प्रश्न संख्या 16

संविदा के विनिर्दिष्ट पालना की आज्ञा प्रदान करने में न्यायालय के विवेकाधिकार के प्रयोग को मार्गदर्शित करने वाले सिद्धान्तों की विस्तृत विवेचना करें।

**Question No. 17****(8 Marks)**

Discuss the rules governing the devolution of property of Hindu male dying intestate among heirs in class I and II of the Schedule appended to the Hindu Succession Act, 1956.

**प्रश्न संख्या 17**

निर्वसीयत मरने वाले हिन्दू पुरुष की सम्पत्ति का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की संलग्नक अनुसूची में वर्णित वर्ग 1 व 2 के वारिसों में न्यायमन को शासित करने वाले नियमों की विवेचना करें।

**Question No. 18****(8 Marks)**

"Consent is said to be free when it is not caused by coercion or undue influence or fraud or misrepresentation or mistake". Discuss with reference to provisions of Section 14 to 22 of the Indian Contract Act, 1872.

**प्रश्न संख्या 18**

"स्वतंत्र सम्मति तब कही जाती है जब कि वह प्रपीड़न या असम्यक् असर या कपट या दुर्यपदेशन या भूल के द्वारा कारित न हो"। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 14 से 22 के परिपेक्ष्य में विवेचना करें।

**PART- D / भाग - द****Marks/ अंक - 14****Question No. 19****(14 Marks)**

Frame the issues on the basis of the pleadings of the parties noticed below and write the judgment.

M/s. B.G. & Company, Nokha, a partnership firm, entered into an agreement with M/s. P. Patel & Company, Unjha, to purchase 200 bags of Cumin for consideration of Rs.3,20,000/-. However, before the actual trans-shipment of the goods, M/s. S.Sethia & Company, Bikaner, purchased the said goods from M/s. B.G. & Company after full payment of the value of the goods. Accordingly, the original vendor M/s. P.Patel & Company at Unjha was instructed to direct the goods for delivery to M/s. S.Sethia & Company. The goods were dispatched from Unjha to Bikaner through North Western Railways. The goods were not delivered by the Railways to M/s. S.Sethia & Company within reasonable time and therefore, its representative contacted concerned authority of Railways at Bikaner time and again, however, the concerned authority informed that the goods had not reached to its destination so far. Later, after a lapse of about one month, the vendee M/s. S.Sethia & Company was informed about the arrival of the goods at the Railway Station, Bikaner. The goods were brought in a wagon different than a wagon wherein the same

were initially trans-shipped. The vendee M/s. S. Sethia & Company found that the goods were in the highly damaged condition and therefore, it claimed for open delivery. The Railways claimed demurrage, which was duly paid by the said firm. During the course of open delivery, it was found that the goods were damaged to such an extent that the same were not fit for human consumption. The assessment of the damage was made by the Railway authorities and the loss suffered was quantified at Rs.1,60,000/-. The vendee M/s. S.Sethia & Company after serving a notice upon the Railway authorities under Section 80 CPC read with Section 106 of the Railways Act, 1989, filed a suit before the District Judge, Bikaner claiming compensation for the damage caused to the goods and interest thereon, a sum of Rs.1,60,000/- and Rs.8,000/- respectively.

The suit was contested by the Railways by filing a written statement thereto wherein, while trans-shipment of the goods from Unjha to Bikaner was accepted, however, the ownership of the goods of the plaintiff M/s. S.Sethia & Company was denied. It was averred that the train wherein the goods were initially loaded met with an accident between the station Unjha to Abu Road and consequently, the wagon wherein the goods were loaded was badly damaged and therefore, later same were re-loaded in another wagon, which reached the destination after a lapse of about one month. It was also averred that the accident did not occur on account of negligence on the part of the Railway employees and it being an act of god, the Railways cannot be held liable for damages. Regarding the damage assessment report, the stand of the Railways was that the same having been prepared without prejudice to the interest of Railways, is not admissible in evidence. The Railways raised an objection that since the plaintiff has no right, title or interest in the disputed goods and therefore, it has no locus standi to maintain the suit. Though, the receipt of the notice alleged to have been sent by the plaintiff was not denied, it was averred on behalf of the Railways that the notice was not served in conformity with the provisions of Section 106 of the Railways Act, 1989 and therefore, the suit is liable to be dismissed on this count alone. The Railways also questioned the maintainability of the suit on the ground that by virtue of Section 15 of Railway Claims Tribunal Act, 1987, no court or other authority have or is entitled to exercise any jurisdiction, powers or authority in respect of claim for compensation for damages and therefore, the suit being barred by law, deserves to be dismissed.

पक्षकारों के अधोवर्णित अभिवचनों के आधार पर विवादकों की रचना करें एवं निर्णय लिखें।

मैसर्स बी.जी. एण्ड कम्पनी, नोखा, एक भागीदारी फर्म, ने मैसर्स पी.पटेल एण्ड कम्पनी, उन्झा से 200 बोरी जीरा 3,20,000 रुपये के प्रतिफल में खरीदने का इकरार किया लेकिन माल के वास्तविक परिवहन से पूर्व मैसर्स एस. सेठिया एण्ड कम्पनी बीकानेर ने मैसर्स बी.जी. एण्ड कम्पनी से उक्त माल, सम्पूर्ण कीमत अदा कर खरीद लिया। तदनुसार मूल विक्रेता मैसर्स पी. पटेल कम्पनी को माल की सुपुर्दगी मैसर्स एस. सेठिया एण्ड कम्पनी, बीकानेर को देने हेतु, निर्देशित किया गया। माल उन्झा से बीकानेर के लिए उत्तर-पश्चिम रेलवे के जरिये भेजा गया। माल युक्तियुक्त समय में मैसर्स एस. सेठिया एण्ड कम्पनी, बीकानेर को रेलवे ने सुपुर्द नहीं किया अतः उक्त फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बार-बार बीकानेर में रेलवे के सम्बन्धित प्राधिकारी से सम्पर्क किया गया लेकिन सम्बन्धित प्राधिकारी ने माल गन्तव्य स्थान पर तब तक पहुँचना नहीं बताया। बाद में करीब एक माह पश्चात् क्रेता मैसर्स एस. सेठिया एण्ड कम्पनी को माल रेलवे स्टेशन बीकानेर पर पहुँचने की सूचना दी गयी। माल प्रारम्भ में जिस वैगन से भेजा गया था उससे भिन्न वैगन में लाया गया था। क्रेता मैसर्स एस. सेठिया एण्ड कम्पनी ने यह पाया कि माल काफी क्षतिग्रस्त अवस्था में था और इसलिए उसने माल की खुली सुपुर्दगी देने की मांग की। रेलवे द्वारा विलम्ब शुल्क की मांग कि गयी जो उक्त फर्म द्वारा संदाय कर दिया गया। खुली सुपुर्दगी के दौरान यह पाया गया कि माल इस हद तक क्षतिग्रस्त हो गया था कि वह मानव उपभोग योग्य नहीं रहा। रेलवे के प्राधिकारियों द्वारा क्षति का निर्धारण किया गया एवं क्षति की राशि रुपये 1,60,000 निर्धारित की गई। क्रेता मैसर्स एस. सेठिया एण्ड कम्पनी द्वारा रेलवे के प्राधिकारियों को व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 80 सपठित धारा 106, रेलवे अधिनियम 1989, के अन्तर्गत नोटिस देने के पश्चात् माल में हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति एवं उस पर ब्याज क्रमशः रुपये 1,60,000 एवं रुपये 8,000 की मांग करते हुए न्यायालय जिला न्यायाधीश, बीकानेर के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया।

रेलवे द्वारा दावे का प्रतिवाद करते हुए जबाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्झा से बीकानेर माल की रवानगी को, स्वीकार करते हुए वादी मैसर्स एस. सेठिया एण्ड कम्पनी के माल का मालिक होने के तथ्य को अस्वीकार किया गया। यह अभिकथन किया गया कि जिस ट्रेन में माल को प्रारम्भ में लदान किया गया था, वह उन्झा एवं आबूरोड़ के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी और परिणाम स्वरूप वैगन जिसमें माल लदान किया गया था, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और इस कारण से बाद में उसका पुनः लदान अन्य वैगन में किया गया जो कि एक माह पश्चात् गन्तव्य स्थान पर पहुँचा। यह भी अभिकथन किया गया कि दुर्घटना रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही से नहीं हुई है एवं यह एक ईश्वरीय कृत्य होने के कारण रेलवे को क्षतिपूर्ति हेतु दायी नहीं ठहराया जा सकता। क्षति निर्धारण प्रतिवेदन के सम्बन्ध में यह कथन किया गया कि वह रेलवे के हित को प्रभावित किये बिना तैयार किया गया था, जो कि साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। रेलवे द्वारा यह भी आपत्ति उठायी गयी कि चूँकि विवादग्रस्त माल में वादी का कोई अधिकार, स्वत्व या हित नहीं है, अतः उसे दावा प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। यद्यपि वादी द्वारा भेजे गये नोटिस की प्राप्ति को अस्वीकार नहीं किया गया लेकिन यह कथन किया गया कि नोटिस रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 106 के अनुकूल प्रेषित नहीं किया गया है इसलिए वाद मात्र इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। रेलवे द्वारा वाद की पोषणीयता पर इस आधार पर भी प्रश्न उठाया गया कि रेलवे दावा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 15 के प्रभाव से, नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु दावे के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी को क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ या प्राधिकार प्राप्त नहीं है एवं इसलिए दावा विधि द्वारा बाधित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।